न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 28/2019 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91

सायल — गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये — बनाम — श्री [illegible] पुत्र [illegible]

पटवारी हल्का [illegible] — जाति [illegible] निवासी [illegible]

तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की [illegible] पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का [illegible] ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम [illegible] के खसरा नम्बर 2447 रकबा 96.9 बीघा में से 0.08 बीघा किस्म [illegible] राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश जारित किये जाते है साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षरे पच्चास रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसुल हो।

टी.आर.ए, पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/9/2019 को सरेआम सुनाया गया।

तहसीलदार गडरारोड

तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 50 फसल नि. ....

कुल योग 50 जि.के पृष्ठ सं. 26

वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।